

राजस्थान सरकार  
न्यायालय उपखण्ड अधिकारी एवं पदेन सहायक कलेक्टर राशमी

(पीठासीन अधिकारी लोक अदालत/कैम्प कोर्ट) कैम्प :- अटल सेवा केन्द्र राशमी



राजस्व लोक अदालत अभियान  
 न्याय आपके द्वार-2018

-: आदेश :-

प्र0सं0 :- 73 / 2018

प्रार्थी के "खाता दुरुस्ती" प्रार्थना पत्र एवं पटवारी, पटवार हल्का मकरी नू  
 अभिलेख निरीक्षक वृत्त कद की रिपोर्ट तथा तहसीलदार राशमी की राजस्व अनुशाषा  
 के आधार पर राजस्थान नू -राजस्व अधिनियम 1956 की धारा 136 के अनुसरण में मौजा पालभूपुर  
 तहसील राशमी व जिला चित्तौड़गढ़ की जमाबन्दी सम्बत् 2070-73 में खाता संख्या 6  
 में वर्तमान में दर्ज प्रविष्टि को निम्नलिखित रूप से शुद्ध किया जाकर राजस्व रिकार्ड में अमल  
 दरामद किये जाने का आदेश दिये जाते है :-

क्र.सं.	मौजा	खाता संख्या	वर्तमान प्रविष्टि (अशुद्ध प्रविष्टि)	आदेश (शुद्ध प्रविष्टि जो राजस्व रिकार्ड में दर्ज की जानी है)
1.	पालभूपुर	6	<del>रज. एडर बैंक आंक</del> <del>कीलनेट पंड फायर</del> SBBJ	<del>रज. एडर बैंक आंक</del> शुद्ध SBI



पकज शर्मा  
 (पकज शर्मा)

सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़

क्रमांक: सारस्ता/5-11(73)2018

दिनांक :- 10/07/18

प्रतिलिपि :-

1. तहसीलदार, राशमी को भेजकर लेख है कि आदेशानुसार राजस्व रिकार्ड में अमल दरामद शीघ्र किया जाकर पालना रिपोर्ट भिजवायें।
2. प्रार्थी श्री SBI को सूचनार्थ।

पकज शर्मा  
 (पकज शर्मा)  
 सहायक कलेक्टर  
 (उपखण्ड अधिकारी)  
 राशमी, जिला चित्तौड़गढ़